

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

प्रताप उमवान मांगे राम आदि

दावा बाबत :- 88 RT Act

मुकदमा नम्बर :- 46/2021

निर्णय दिनांक :- 11.12.21

वादी की ओर से वकील मुन्शीराम गोस्वामी की व प्रतिवादी सं०..... की ओर से वकील नारान्यर मोहसरा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11.12.21 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मोजा मोहसरा के खाता सं० 134/130 के खसरा सं० 175/2, 192/2, 193, 194/2, 231/2 की कुल 11-306 हेक्टेयर बाराही खातेपारी में वादी प्रताप 0.565 हेक्टेयर, प्रतिवादी कमलेश, जोगेन्द्र, उर्मिला, राहुल संयुक्त रूप से 0.565 हेक्टेयर प्रतिवादी अशोकप्रताप 0.565 हेक्टेयर, प्रतिवादी मैना, डलवीर जयसिंह, नरेश, बशीलाल, धोलु संयुक्त रूप से 0.565 हेक्टेयर, प्रतिवादी जेलराम 2.261 हेक्टेयर, प्रतिवादी सन्तु 2.261 हेक्टेयर, प्रतिवादी रामस्वरूप 0.877 हेक्टेयर, प्रतिवादी कृष्णाकुमार 1.130 हेक्टेयर, प्रतिवादी उकीराम 0.453 हेक्टेयर प्रतिवादी रूपसिंह 0.453 हेक्टेयर, प्रतिवादी अजयप्रकाश 0.578 हेक्टेयर, प्रतिवादी महेन्द्रपाल 0.453 हेक्टेयर, प्रतिवादी परमेश्वरी सुभाषचन्द्र, कौशलभा संयुक्त रूप से 0.453 हेक्टेयर प्रतिवादी देवीलाल 0.127 हेक्टेयर के अनुसार खातेदार कायदाकार है तथा शेष प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है प्रतिवादीगण के द्वारा किये गये हक त्याग पर निम्नानुसार स्वाम्य इष्टी पेश करने पर इसी अनुसार रजिस्टर रिकार्ड मुकदमा डिमा ताने। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11.12.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Note: 03-01-2022

पर्चा डिक्री में पंक्ति सं० 5 में दलवीर के स्थान पर देवीलाल पता जोका

शकुन्तला चौधरी (फास्ट ट्रैक) भादरा

